प्रवेशार्थी निर्देशिका

2022–23

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर, चमोली)

(प्रवेश नियम, उपस्थिति तथा शैक्षणिक कैलेण्डर)

सम्बद्ध

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल,

उत्तराखण्ड– 249199

आमुख(**Preface**)

हम श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की समस्त शुभकामनाओं और शुभेच्छाओं के साथ नवीन सत्र 2022–23 में समस्त निदेशकों, प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्र–छात्राओं तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

भूमण्डलीकरण के दौर में सूचना का तकनीक आधारित वैश्विक परिदृश्य पर निरन्तर आहट देता हमारा विकासमान विश्वविद्यालय विकट परिस्थितियों के बावजूद भी प्रगति के नवीन सोपानों को सत्त पार करता आ रहा है और इस महायज्ञ की रीढ़ हमारे उद्दीयमान विद्यार्थी हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा विकट आर्थिक समस्याओं के बीच रहकर भी हमारे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को अनेक उपलब्धियों से गौरवॉन्वित कर रहे हैं। वस्तुतः यही हमारे आनन्द और निरन्तर विकास का कारण भी है।

विश्वविद्यालय के स्थापना वर्षो से ही विश्वविद्यालय के क्षेत्र विस्तार तथा संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से कार्य–प्रबन्धन में अनेक चुनौतियॉ सामने आयी है, किन्तु सहयोग के सामूहिक कदमों ने इन बाधाओं को आसानी से दूर भी किया है तथा अपनी अर्थपूर्ण भूमिका का स्वच्छ रूप से निर्वहन करते हुए अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया है। व्यक्तिगत परीक्षाओं के सफल संचालन के साथ–साथ परम्परागत विषयों, व्यावसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ करके विद्यार्थियों को सीधे–सीधे रोजी रोटी से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए कैरियर काउन्सलिगं एंव प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध करना हमारा मुख्य उद्देश्य है ताकि विषय–चयन से लेकर रोजगार प्राप्ति तक उसे दिशा–निर्देश दिये जा सकें।

शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर पर गुणात्मक तथा त्वरित कार्यप्रणाली विकसित करते हुए ई–लर्निंग तथा ई–गवर्नेन्स की पहल की जा रही है। शोध के नवीन सोपान विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। सामान्य तथा अनुसूचित वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा के साथ–साथ शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों मे उत्कृष्ट उपलब्धियॉ प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाना भी हमारा मुख्य लक्ष्य है।

मूलतः हमारे विश्वविद्यालय की संपदा हमारे विद्यार्थी हैं, इनके उन्नत व्यक्तित्व निर्माण का सम्पूर्ण दायित्व हमारा है, क्योंकि यही वह तन्तु है जिससे हम सभी की आत्मा का निर्माण होता है। हम आह्वान करते हैं कि आइए तन–मन–धन से इस अमूल्य निधि का संरक्षण करें ताकि भावी राष्ट्र का समुन्नत विकास हो। इसे ऐसी प्रेरणा दें, जिससे ज्ञान की दिव्यता सृष्टि को चमत्कृत करें, साथ ही अपने प्रिय छात्र–छात्राओं से भी आशा करते हैं कि वे अपने अनुशासित व्यवहार से सदैव इस नवजात विश्वविद्यालय की गरिमा को सुरक्षित रखें क्योंकि आपका मर्यादित आचरण ही हमारे सपनों की आधारशिला है।

पुनः प्रतिबद्धता और संकल्पों की पुनरावृत्ति के साथ हम सभी के प्रयास ईमानदारी से गतिमान रहेंगें। इसी आशा, विश्वास, और प्रतिश्रुति के आलोक में हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं।

(श्री खेमराज भट्ट)
कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी (टि0ग0)

महाविद्यालय : एक परिचय

(College : An Introduction)

भारतीय गणराज्य के सीमान्त जनपद चमोली में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के महान् उद्देश्य से सन् 1966 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति तथा विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में यह उत्तराखण्ड का एक ऐसा राजकीय महाविद्यालय है जहाँ कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों से सम्बन्धित अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है तथा जिसके अधिकांश पाठ्य विषय स्नातकोत्तर स्तर के हैं। सत्र 2021–22 में छात्र संख्या 2832 रही। उच्च स्तरीय शैक्षणिक विकास व स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के साथ–साथ गढ़वाल मण्डल की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति में सहयोग की दृष्टि से भी इस महाविद्यालय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यह महाविद्यालय अपने दायित्व के प्रति सजग, सामाजिक चुनौतियों के प्रति संघर्षरत तथा समस्याओं के समाधान के प्रति कृतसंकल्प है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा सत्र 2003–2004 में इस महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्वायत्त संस्था–राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)–बैंगलोर द्वारा फरवरी 2016, में महाविद्यालय का शैक्षणिक गुणवत्ता पुर्नमूल्यांकन करने पर 'A' ग्रेड (3.02 अंक) प्रदत्त किया गया। सुदूर पर्वतीय अंचल का यह महाविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के उच्च श्रेणी के महाविद्यालयों के समकक्ष है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं तथा अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु वे निरन्तर प्रयासरत रहेंगे।

यह महाविद्यालय शासनादेश संख्या 01/XXIV(6)/2017–01(14)/14 द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल के परिसर के रूप में संचालित होगा, जिस कारण स्नातक प्रथम एवं स्नातकोत्तर प्रथम के प्रवेश वर्तमान सत्र से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होंगे।

महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययन हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं :-

संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अध्ययन विषय	उपलब्ध स्थान	EWS 10%	कुल योग
1. कला संकाय	बी0ए0 I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. हिन्दी	180	18	198
			2. अंग्रेजी	180	18	198
			3. संस्कृत	180	18	198
			4. अर्थशास्त्र	180	18	198
			5. इतिहास	160	16	176
			6. भूगोल	180	18	198
			7. शिक्षाशास्त्र	160	16	176
			8. समाजशास्त्र	180	18	198
			9. राजनीतिशास्त्र	180	18	198
			10. गृहविज्ञान	100	10	110
			11. सैन्य विज्ञान	100	10	110
			12. संगीत	20	2	22
	एम0ए0 I	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	1. हिन्दी	60	6	66
			2. अंग्रेजी	60	6	66
			3. अर्थशास्त्र	60	6	66
			4. राजनीति शास्त्र	60	6	66
			5. समाजशास्त्र	60	6	66
			6. भूगोल	60	6	66
			7. संस्कृत	60	6	66
			8. सैन्य विज्ञान	20	2	22
			9. शिक्षाशास्त्र	30	3	33
			10. इतिहास	60	6	66
2 विज्ञान संकाय	बी0एससी0 I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. जन्तु विज्ञान	140	14	154
			2. वनस्पति विज्ञान	140	14	154
			3. भौतिक विज्ञान	140	14	154
			4. रसायन विज्ञान	140	14	154
			5. गणित	140	14	154
			6. भू–विज्ञान	130	13	143
	एम0एससी0 I	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	1. जन्तु विज्ञान	25	2	27
			2. वनस्पति विज्ञान	25	3	28
			3. भौतिक विज्ञान	25	3	28
			4. रसायन विज्ञान	25	3	28
			5. गणित	60	6	66
			6. भू–विज्ञान	20	2	22
3 वाणिज्य संकाय	बी0काम0 I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. वाणिज्य	140	14	154
	एम0काम0 I	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	1. वाणिज्य	60	6	66
4. शिक्षा संकाय	बी0एड0	2 वर्ष (4 सेमेस्टर	1. बी0एड0	50	5	55
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. बी0बी0ए0	30	3	33
	पत्रकारिता एवं जनसंचार	स्नातकोत्तर डिप्लोमाा	1. पत्रकारिता एवं जनसंचार	30	3	33
	इकोटूरिज्म	स्नातकोत्तरडिप्लोमाा	1. इकोटूरिज्म	30	3	33

नोट–1.. प्रत्येक वर्ष के सभी विषयों में स्थान विश्वविद्यालय/शासन के निर्णय के अनुसार परिवर्तित किये जायेंगे।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

(Important Instruction for Admission)

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. समस्त कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाईन माध्यम से ही किये जायेंगे। प्रत्येक संकाय हेतु अभ्यर्थी पृथक रूप से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरेगा।
3. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0), चरित्र प्रमाण–पत्र, प्रवजन प्रमाण–पत्र मूल रूप से लगाना आवश्यक है। अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक हैं।
5. ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम् स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) को उचित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
6. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति, प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत केवल एक विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करेगी।
7. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, छः माह का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
9. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
10. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
11. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
13. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण प्रत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
14. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. अतिरिक्त अंक से संबंधित प्रमाण–पत्र के क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि प्रमाण–पत्र में क्रमांक अंकित नहीं है तो इसकी जगह NA का उल्लेख करना अनिवार्य है।

प्रवेश नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश समितियों का गठन करेगें, जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेगें। तत्–तत् संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
2. समितियों की विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
3. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षामें 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवम् स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडें वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–1144/क्रामिक–2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित निति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।

अनुसूचित जाति– 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति– 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग– 14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगाः महिला– 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक– 05 प्रतिशत, दिव्यांग– 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित– 02 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हों। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

5. स्नातक/स्नातकोस्तर कक्षाओं/विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
6. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी तथा बी0कॉम0 एवं बी0एस0सी0 के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

8. प्रवेशार्थी का नाम वरीयता सूची में आने पर प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(TC) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र(Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

9. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष समस्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर एवं अधिमानी अर्हता के मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवंम् प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।

10. बी0एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट अंकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश की अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।

11. एम0एड0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को हाई स्कूल से लेकर बी0एड0 तक की सभी कक्षाओं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

12. इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें एम0एड0 में प्रवेश हेतु अर्ह है।

13. इस विश्वविद्यालय एवं किसी अन्य विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट भूतपूर्व छात्र उसी कक्षा की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया गया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हो।

14. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

16. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते है। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होनें पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता हो।

17. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासनकी राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

18. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।

19. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।

20. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।

21. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।

22. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।
23. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
24. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
25. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
27. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
28. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
29. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
30. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों साथ ही अभ्यर्थी को किसी राजपत्रित/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
32. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
33. प्रवेश समिति/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा जारी की गई वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने की दशा में प्रवेशार्थी का आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी निर्णय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के अनुमोदन एवं सम्बन्धित विषय/संकाय में रिक्त सीटों की उपलब्धता होने की दशा में विचार किया जायेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।
2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जायेंगे, जो महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करायेंगे, वे विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई अन्तिम तिथि से पहले सारी औपचारिकतायें पूरी कर छात्रों को निम्न मानकों के अनुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।
3. (I) प्रवेश परीक्षा प्राप्ताकों का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्ताकों का 40 प्रतिशत जोड़कर कर योग्यता सूची बनाई जायेगी।

   (II) प्रवेश परीक्षा का आयोजन न होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।
4. उक्त दोनों स्थितियों में अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाय।

   (I) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 7 तथा 5 अतिरिक्त अंक देय होगें।

   (II) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक)

   (III) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)

   (IV) स्काउट में पद सोपान–1 धारक को 1 अंक, पद सोपान 2 धारक को 2 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को 3 अतिरिक्त अंक देय होगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होंगे (अधिकतम 5 अंक)

नोटः– उपरोक्त प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में सात अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(VI) सेना में कार्यरत सैनिकों एंव केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 3 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

व्यवसायिक विषय जैसे एम0एड0/बी0एड0 विषयों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय करेगा जिसकी तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।

नोटः–1. अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

2. विश्वविद्यालय स्तर पर जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी उनके प्रवेश नियमों एवम् तिथियों को अलग से प्रकाशित/प्रचारित किया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. एम0एससी0(विज्ञान एवं कृषि संकाय में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगें)
   कला, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी0ए0/बी0कॉम0 परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत अंक होगें। अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
   स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का निर्धारण सम्बन्धित संकाय/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही किया जायेगा।
2. बी0एससी0/बी0कॉम/बी0एड0 में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में एम0ए0 प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होगें।
3. प्रयोगात्मक विषय में केवल उन्हीं विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी0एससी0 अथवा प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।
4. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः

   (अ) सूचकांक=$(x/X + y/Y)\times 100$

   यहॉ x=प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग,
   यहॉ X=प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के पूर्णांकों का योग,
   y=स्नातक के तीनों वर्षो के प्राप्तांकों का योग
   Y=स्नातक के तीनों वर्षो के पूर्णांकों का योग

   (ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

   i- आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पॉच अतिरिक्त अंक।

   ii- अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को पॉच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होगें, विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होंगे।

   iii- एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को पांच अंक।

   iv- राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को पांच अंक (अधिकतम 5 अंक)

   v- सेना में कार्यरत सैनिकों एवम् केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों(पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को दो अतिरिक्त अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

   vi- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री) एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता–पिता, पति–पत्नी कार्यरत हो को पांच अतिरिक्त अंक देय होगें।

   (नोटः– उपरोक्त 'ब' के अन्तर्गत अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे)।

विज्ञान संकाय **(Faculty of Science)**

बी0एससी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी0एससी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गो में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग(गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग(वनस्पति, रसायन, जन्तु) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन–पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

निम्न अनुवर्ग विश्वविद्यालय के सभी परिसर एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों पर उनके यहॉ उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होगें।

गणित संवर्ग

- भौतिकी–गणित–रसायन
- भौतिकी–गणित–भू–विज्ञान
- भौतिकी–गणित–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन

प्राणि विज्ञान संवर्ग

- वनस्पति–जन्तु–रसायन
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–भू विज्ञान

कला संकाय(**Faculty of Art**)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयो में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु :
   (i) संगीत एवं चित्रकला के साथ मानव विज्ञान एवं रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विषय का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (ii) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iii) संस्कृत के साथ मनोविज्ञान एवम् मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iv) मानव विज्ञान के साथ संगीत, चित्रकला, संस्कृत, दर्शन शास्त्र एवं गृह विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (v) अर्थशास्त्र के साथ संगीत, चित्रकला, मानव विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (vi) भूगोल के साथ संगीत, चित्रकला, इतिहास तथा मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।

4. केवल वही छात्र–छात्रा चित्रकला का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होनें इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा सम्बन्धित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. केवल वही अभ्यर्थी संगीत विषय ले सकते हैं जिनका 10+2 में संगीत रहा हो या जिन्होंने भारतखण्डे व प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा/सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावान अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने के इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष उसकी स्वर परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत कर सकते है, परन्तु अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
6. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होनें इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।
7. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
8. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन इण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र कर सकते हैं।
9. गणित के साथ मात्र सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते है।

वाणिज्य संकाय**(Faculty of Commerce)**

बी0कॉम0 तथा एम0कॉम0 प्रवेश हेतु नियम

1. बी0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होनें,
   (i) इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य विषय के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण की हो।
   (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण की हो किन्तु उन्हें क्वालीफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।
2. एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्न लिखित शर्ते पूरी करते हो,
   (i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण की हो।
   (ii) बी0ए0/बी0एससी0 परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालिफाईगं परीक्षा अलग से 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण करनी होगी।

कला संकाय **(Faculty of Art)**

बी0ए0 तीन वर्षीय/छः सेमेस्टर पाठ्यक्रम

कला संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है,

1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. संस्कृत 4. इतिहास 5. राजनीतिशास्त्र 6. अर्थशास्त्र 7. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन 8. शिक्षा शास्त्र 9. समाजशास्त्र 10. गृह विज्ञान 11. संगीत 12. भूगोल

अनिवार्य विषयः–

पर्यावरण अध्ययन जिसे प्रथम सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना है।

एम0ए0 द्विवर्षीय/चार सेमेस्टर पाठ्यक्रम

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, भूगोल, शिक्षा शास्त्र।

विज्ञान संकाय **(Faculty of Science)**

बी0एससी0 तीन वर्षीय/छः सेमेस्टर पाठ्यक्रम

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है,

1. भौतिक विज्ञान, 2. रसायन विज्ञान, 3. वनस्पति विज्ञान, 4. जन्तु विज्ञान, 5. भू–विज्ञान, 6. गणित, 7.रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन

एम0एससी0 द्विवर्षीय/चार सेमेस्टर पाठ्यक्रम

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन, भू–विज्ञान, गणित

वाणिज्य संकाय **(Faculty of Commerce)**

वाणिज्य संकाय

बी0कॉम (तीनर्षीय/छः सेमेस्टर पाठ्यक्रम)
एम0कॉम (द्विवर्षीय/चार सेमेस्टर पाठ्यक्रम)

व्यवसायिक पाठ्यक्रम**(Self Finance Courses)**

बी0बी0ए0 (स्नातक पाठ्यक्रम)
पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमाा (PGDJMC)
इको टूरिज्म (स्नातकोत्तर डिप्लोमा)

आचार संहिता

समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र, अथवा आधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान, अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यक्रम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।

17. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
18. कोई ऐसा कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
19. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
20. ऐसा कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
21. अनाधिकृत कोश संग्रह।
22. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
23. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
24. कोई अन्य कृत्य जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
25. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
26. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड–2

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

विश्वविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या– 310/04/एस0आई0ए0, दिनांक– 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रावधान किये है,

1. रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है,

Any disorderly conduct whether by words spoken of written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rawdy or undisciplined acticvites which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereofin a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड,

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना ।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।

- अपराधिक बल का प्रयोग करना ।
- साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वसूली।
- अपराधिक अतिक्रमण।
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- अपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. दण्ड,

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- छात्रावास से निष्कासन।
- निरस्तीकरण।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

खण्ड–3

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण,

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरू(विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जयेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होगा तथा नियन्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्रों से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता हैं लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। इससे आगे बढ़ते हुये एक विशेष पहल के रूप में महिला छात्राओं में आत्म विश्वास संवर्द्धन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षायें आयोजित की जाती है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा महिला छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है तथा महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

शुल्क विवरण**(Fee Details)**

वार्षिक शुल्क (परिवर्तनीय)

निम्न सभी शुल्क शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय होगें।

1.	विश्वविद्यालय नामाकंन शुल्क (केवल नये छात्रों के लिए)	–	रू0 100
2.	वाचनालय शुल्क	–	रू0 25
3.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	–	रू0 50
4.	छात्र परिषद/छात्र संघ शुल्क	–	रू0 100
5.	सांस्कृतिक क्रिया कलाप शुल्क	–	रू0 100
6.	परिचय पत्र शुल्क	–	रू0 20
7.	पत्रिका शुल्क	–	रू0 50
8.	पुस्तकालय शुल्क	–	रू0 50
9.	विकास शुल्क	–	रू0 100
10.	प्रवेश शुल्क		
11.	पुस्तकालय शुल्क		
	(अ) स्नातक कक्षा शुल्क	–	रू0 25
	(ब) स्नातकोत्तर कक्षा शुल्क	–	रू0 35
12.	पंखा, बिजली, पानी शुल्क	–	रू0 25
13.	पर्यटन विषय छात्रों के लिए इन्सट्यूशनल शुल्क	–	रू0 75
14.	परिसर दिवस शुल्क	–	रू0 25
15.	कैरियर काउन्सलिंग शुल्क	–	रू0 50
16.	पार्किंग शुल्क	–	रु0 30

मासिक शुल्क(वर्ष में दो बार लिया जायेगा)

1.	बी0एससी0/बी0ए0/बी0कॉम0	–	रू0 50 प्रतिमाह
2.	एम0एससी0/एम0ए0/एम0कॉम0	–	रू0 75प्रतिमाह
3.	बी0एड0/एम0एड0/अनौपचारिक शुल्क	–	रू0 90प्रतिमाह
4.	टूरिज्म/पत्रकारिता प्रतिमाह	–	रू0 100
5.	प्रयोगशाला		
6.	बी0एससी0/बी0एड0	–	रू0 25प्रतिमाह
7.	एम0एससी0/एम0ए0 प्रायोगिक विषय	–	रू0 30प्रतिमाह
8.	बी0ए0 प्रायोगिक विषय	–	रू0 15प्रतिमाह
9.	बी0कॉम कम्प्यूटर शुल्क(एकाउन्टिंग लेने वाले छात्रों हेतु)	–	रू0 50प्रतिमाह
10.	विशेष पाठ्यक्रम शुल्क(केवल कृषि संकाय में चार वर्षीय वानिकी एवम् अद्यानिकी स्नातक कक्षाओं हेतु)	–	रू0 6000प्रतिमाह
11.	क्रीड़ा शुल्क	–	रू0 30प्रतिमाह
12.	महगाई शुल्क	–	रू0 15प्रतिमाह
13.	विलम्ब शुल्क	–	रू0 50प्रतिमाह

प्रतिभूति शुल्क(जो वापस होगा)

(i)	पुस्तकालय स्नातक(बी0लिब0)	–	रू0 150
(ii)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम0फिल0	–	रू0 200

विज्ञान संकाय

(i)	स्नातक स्तर(प्रति प्रायोगिक विषय)	–	रू0 75
(ii)	स्नातकोत्तर/एम0फिल(कला संकाय)	–	रू0 100

अन्यशुल्क

(i) स्थानान्तरण शुल्क(TC शुल्क)	–	रू0 20
(ii) डुप्लीकेट शुल्क रसीद	–	रू0 10
(iii) चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	–	रू0 20
(iv) डुप्लीकेट परिचय पत्र शुल्क	–	रू0 10

शुल्क का लौटाया जाना

1. (अ) वैधानिक वाद्यताओं या किसी अन्य कारण से यदि विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने मे असमर्थ है तो ऐसे मामलों के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा चाहे वह कक्षा में उपस्थित रहा हो अथवा न रहा हो प्रदत्त शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
   (ब) अनियमित छात्रों को तीन माह का शुल्क देना होगा।
2. विश्वविद्यालय को किसी भी समय शुल्क में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है चाहे वह शुल्क नवीन छात्रों का हो, अथवा उन छात्रों का हो जो पहलेसे अध्ययन कर रहे है।

वार्षिक/सेमेस्टर विवरण

उपस्थिति नियम**(Rules for Attendence)**

विश्वविद्यालय की बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, व्यावसायिक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या–528(1)15–(उच्च शिक्षा)71/97, दिनांक– 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6% तक की छूट संकायाध्यक्ष(डीन)/प्राचार्य द्वारा तथा 9% छूट मा0 कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षामें सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो या
   (ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूवता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहॉ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी0 शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

नोटः– बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

आवश्यक सूचना

1. **विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म आनलाइन** भरे जाते हैं एवं परीक्षा शुल्क भी विश्वविद्यालय के खाते में ऑन लाईन जमा होती है। अतः छात्र/छात्रायें परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि हेतु महाविद्यालय में निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें।
2. छात्र/छात्राएं नवीनतम सूचना हेतु सूचना पट्ट अवश्य देखते रहें।
3. विश्वविद्यालय/शासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर उपरोक्त तिथियों में तदनुसार संशोधन किया जायेगा।

छात्रवृत्तियाँ तथा आर्थिक अनुदान
(Scholarship and Financial Support)

विद्यार्थियों की जानकारी के लिए प्रमुख छात्रवृत्तियों एवं अनुदानों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचना समय–समय पर सूचना पट्ट पर दी जाती है। अतः छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पढ़कर यथासमय तदनुसार कार्यवाही करें।

शासनादेश संख्या 2097/**XVII**–4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से 'आन लाइन' छात्रवृत्ति की योजना लागू कर दी गई हैं जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट **www.escholarship.uk.gov.in**पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को, उसे भविष्य के अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजक आई0डी0 एवं पासवर्ड एस0एम0एस0/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए यूजर आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र, अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा का अंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हों, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। संबंधित छात्र द्वारा आनलाईन फीड किये गये आवेदन–पत्र का एक प्रिन्ट–आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र अपने भरे हुये आवेदन–पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध विधि/सम्मत कार्यवाही की जायेगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक आनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदन–पत्र साफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

1–अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति निर्धारित शासनादेशों के अनुरूप जिला समाज कल्याण विभाग से प्रदान की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन(Online)करना होता है तथा उसकी 01 प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होती है। आवेदकों के माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय निम्नांकित से अधिक नहीं होनी चाहिए–

1. SC के अभिभावकों हेतु – 02 लाख 50 हजार
2. ST के अभिभावकों हेतु – 02 लाख 50 हजार

3. OBC के अभिभावकों हेतु – 01 लाख (जिन छात्रों का प्रवेश मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत हुआ है ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। केवल काउन्सलिंग से चयनित छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति देय है।)

2–स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या अश्रितों के लिए है। यह छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर 30.00 रु0 प्रतिमाह स्नातकोत्तर स्तर पर 40.00 रू0 प्रतिमाह अथवा 180.00 रू0 पुस्तकों के लिए मूल्य के रूप में प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाती है। इसके लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त कर 10 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा कर दिया जाता है।

3–प्रतिरक्षा सेवा छात्रवृत्तियाँ :-

(अ) द्वितीय विश्व युद्व के सैनिकों के बच्चों या आश्रितों को 20 रूपया मासिक के हिसाब से दो वर्ष तक सैनिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए इण्टर परीक्षा में योग्यतापूर्ण परीक्षाफल प्राप्त करना आवश्यक है। यह छात्रवृत्ति अन्य छात्रवृत्ति के साथ भी प्राप्तव्य है।

आवेदन पत्र जिला सैनिक परिषद से प्राप्त किये जाते हैं महाविद्यालय से अग्रसारण के पश्चात् जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किये जाते हैं।

(आ) राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में तैनात अथवा देश की सुरक्षा में मारे गये, अपंग हुए, लापता घोषित, मृत विश्वास किये/बन्दी बनाये गये, उत्तर प्रदेश के पी0 ए0 सी0 जवान सशस्त्र पुलिस के बच्चों, आश्रितों, को स्नातक स्तर पर 20 रू0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

निर्धारित प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त होते हैं और सेनानायक पी0 ए0 सी0 का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक है।

4–बी० एड० छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष एक छात्र/छात्रा को प्रवेश परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर मिलती हैं जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

5– राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा के आधार पर दी जाती है इसका नवीनीकरण स्नातक कक्षाओं में 75 रूपया और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 110 रू0 मासिक के हिसाब से दिया जाता है। स्नातकोत्तर कक्षा में यह छात्रवृत्ति 100 रू0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है। नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत अंक आवश्यक है।

नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रगति आख्या भरकर महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रमाणित कराकर अंक तालिका के साथ 31 जुलाई तक शि0 नि0/उच्च शिक्षा हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को भेजें।

6–संस्कृत छात्रवृत्ति :-

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को संस्कृत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7–राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति :-

भारत सरकार के प्रतिवर्ष कोटे के अनुसार राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां निर्धन और योग्य छात्रों को जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण करते हैं और भारत के निवासी हैं को दो वर्ष के लिए क्रमशः 65 रू0 तथा 115 रू0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है। इसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी या उसके माता–पिता अथवा अभिभावक को एक अनुबन्ध पत्र भरना पड़ेगा जिसके अनुसार शिक्षा समाप्त करने के बाद इन छात्रों को नौकरी मिलने के एक वर्ष बाद या ऋण छात्रवृत्ति की समाप्ति के तीन वर्ष बाद, जो भी पहले हो, उसे कुल लिये गये ऋण के

धन के आय के अनुसार प्रतिमाह मासिक किस्तों में वापस करना पड़ेगा। जो छात्र अध्ययन के पश्चात् शिक्षण व्यवसाय में प्रविष्ट होंगे उन्हें छात्रवृत्ति नहीं लौटानी पड़ेगी।

आवेदन पत्र उत्तरांचल के जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्रार्थना–पत्र शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को भेजे जाने चाहिए।

परिचय-पत्र
(Identity Card)

म्हाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय–पत्र रखना अति आवश्यक होगा। अनुशासनमण्डल के किसी सदस्य द्वारा परिचय–पत्र दिखाने को कहा जाता है और उस समय विद्यार्थी परिचय–पत्र दिखाने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय–पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। परिचय–पत्र खो जाने पर इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शासता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्द रसीद दिखाकर रू0 30.00 नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय–पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए। उसे कभी भी सत्यापन के लिये मांगा जा सकता है।

निर्धन छात्र सहायता कोष
(Poor Boys Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास आवेदन–पत्र जमा कर कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उपस्थिति नियम
(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1)15(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनमुति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1.(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि

विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण–पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2.विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनतम में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि

संबंधित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नोट–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि एन0सी0सी0, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स––रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय पुस्तकालय
(College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक खुला रहता है, छात्रों को 11 बजे से 4.00 बजे सायंकाल तक पुस्तक मिलती है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित मांग पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को दे देना चाहिए। इसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र और परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें नहीं मिलेगी। छात्रों को पुस्तकालय पत्र पर एक समय में कुल मिलाकर 2 ही पुस्तकें मिलेगी। पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। यदि पुस्तक फट जाये, गंदी हो जाय या किसी भाँति नष्ट हो जाय तब छात्र को उसके बदले नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा। सुरक्षित या संदर्भ पुस्तकें अध्ययन कक्ष में पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकों को परीक्षा आरम्भ होने से पहले लौटाना होगा।

निर्देश : पुस्तकालय की समस्त पुस्तक अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लौटानी होगी अथवा पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा।

वाचनालय (रीडिंग रूम)
(Reading Room)

छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें, पत्रिकायें उपलब्ध हैं।

छात्र–छात्राओं के लिये सदैव समाचार–पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खाली समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

बुक बैंक
(Book Bank)

महाविद्यालय में बुक बैंक की समुचित व्यवस्था है। निर्धन छात्रों के लिये बुक बैंक योजना के अन्तर्गत पूरे सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। निर्गत की गई पुस्तकों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क छात्र से लिया जाता है। परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें अच्छी हालत में वापिस करनी होती है। क्षतिग्रस्त अथवा खोई पुस्तकों के लिए छात्र को डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होता है। इन पुस्तकों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को अपनी इच्छित पुस्तकों की नामावली के साथ आवेदन करना चाहिए।

महाविद्यालय पत्रिका
(College Magazine)

महाविद्यालय पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में प्रतिभा का विकास करना है। छात्र–छात्राएं पत्रिका के मौलिक रचना/लेख आदि के प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त कर सत्र 2018–19 में छात्रों को चाहिए कि महाविद्यालय पत्रिका में प्रकाशन हेतु एक मौलिक एवं आकर्षक रचना पहले से तैयार रखें।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं बी बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

एस०सी०/एस०टी० कोचिंग सेन्टर
(SC/ST Coaching Center)

महाविद्यालय द्वारा एस0सी0/एस0टी0 के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं (I.A.S./P.C.S./ NET/SET/बैंकिंग एवं सैन्य सेवाए, समूह ग) आदि सम्बन्धित तैयारी हेतु कक्षायें संचालित की जाती हैं।

पूर्व छात्र परिषद
(Alumni Association)

भूतपूर्व छात्रों का महाविद्यालय के विकास हेतु महत्वपूर्ण भागीदारी के उद्देश्य से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् का गठन किया गया है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहन/अभिभावक अथवा संबंधी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों, तो उनकी सूचना महाविद्यालय में गठित पूर्व छात्र परिषद के संयोजक को उपलब्ध करायें जिससे परिषद् की समय–समय पर होने वाली बैठकों मे उन्हें आमंत्रित किया जा सके तथा महाविद्यालय के विकास में उनका योगदान/सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। भूतपूर्व छात्र परिषद् के अध्यक्ष–प्राचार्य होते हैं, सचिव पद पर एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा

मनोनीत किया जाता है तथा उपाध्यक्ष पद पर भूतपूर्व छात्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। इसी तरह सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है।

अभिभावक-शिक्षा परिषद्
(Parent-Teachers Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हे महाविद्यालय में बुलाया जाता है। इसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
(Women's Harassment Redressel Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्याल में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देखरेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

छात्रावास
(Hostel)

महाविद्यालय में 76 छात्रों की आवासीय व्यवस्था हेतु 02 छात्रावास (अलकनन्दा– 32 सीट, भागीरथी–44 सीट) हैं। इन सीटों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए नियमानुसार स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। छात्रावास में प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त ही देय होता है। **छात्रावास में प्रवेश से पूर्व छात्रों को छात्रावास शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क जमा न करने वाले छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण कराने अथवा नियमों का उल्लघन करने पर शास्ता मण्डल संबंधित विद्यार्थी को दंडित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में

कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तोा शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. म्हाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में घूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञान लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में च्यूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन या प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शासता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र को होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खाने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचार एवं उदण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

रैगिंग कानूनन अपराध
(Ragging : A Legal Offence)

कॉलेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैगिंग एक असामाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाही की जाती है। इसमें ढ़ाई लाख रुपये तक का अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध रैगिंग समिति अपराध के गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. महाविद्यालय से निष्कासन/निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

रैगिंग का तात्पर्य

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताडित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्मा महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

रैगिंग विरोधक समिति/रैगिंग निरोध दस्ता

माननवीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 310/04 ए0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोध दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप
(Co-Curricular Activities)

1.छात्रसंघ–सत्र 2016–17 से राजकीय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर उनमें छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या–S.L.P.(Civil) No.24295/2004/दिनांक 24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक–23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवम् उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/XXIV/2007–3(168)/2001, दिनांक 27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

महाविद्यालय छात्रसंघ/परिषद की कार्यवाही विश्वविद्यालय/शासन के निर्देशानुसार ही सम्पन्न की जायेगी। छात्रसंघ नामांकन के समय छात्र–छात्रा अपने नाम को हाईस्कूल प्रमाण–पत्र पर अंकित नाम के अनुरूप ही भरकर नामांकन करेंगे, अन्यथा मान्य नहीं होगा। नामांकन के समय समस्त प्रमाण–पत्र मूल रूप से दिखाने होते हैं। यदि कोई छात्र विशेष परिस्थिति कारणवश अपने मूल नाम के साथ उपनाम जोड़ना चाहता है तो उसे संबंधित नाम से संबंधित विज्ञापन कम से कम 02 (राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा तथा उसकी कटिंग नामांकन के समय लगानी होगी। न्यायालय से दोषी छात्र–छात्रा छात्रसंघ चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।

2.राष्ट्रीय सेवा योजना–''मैं नहीं परन्तु आप'' की भावना पर आधारित रा0से0यो0 के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी काई गतिविधियां संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा0से0यो0 की चार इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 400 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करनार होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण–पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। सत्र 2004–05 से वि0वि0 द्वारा रा0से0यो0 'बी' व 'सी' प्रमाण–पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जाती हैं जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन0सी0सी0 में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं हैं। सम्प्रति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 04 इकाईयां कार्यरत हैं।

3.एन0सी0सी0–महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की सीनियर डिवीजन इकाई कार्यरत है जिसमें देश सेवा एवं सुरक्षा का प्रशिक्षण नियमानुसार भारतीय सेना के प्रशिक्षकों द्वारा किदया जाता है। इसके अन्तर्गत इच्छुक छात्र–छात्राओं को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.रोवर्स एवं रेंजर्स–महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिये भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय ने रोवर–रेंजर्स की इकाई स्थापित की गई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 24–24 स्थान निर्धारित हैं। इन्हें क्रमशः गोपीनाथ क्रू एवं नन्दादेवी क्रू नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण–पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण–पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित हैं।

5.विभागीय परिषदें–महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

6.सांस्कृतिक परिषद्– महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित किया जाता है। प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वासले सांस्कृतिक–साहित्यिक आयोजनों में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है।

7.क्रीड़ा एवं खेलकूद–'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है' महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्ममहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, वालीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध है।

अन्य नियम

1. अस्थायी/स्थाई चरित्र प्रमाण–पत्र– अध्ययनरत संस्थागत छात्रों को **अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र** हेतु आवेदन करने पर मुख्य शास्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। 06 माह के पश्चात् ही विद्यार्थी को दूसरा **अस्थाई चरित्र प्रमाण–पत्र** निर्गत किया जा सकता है। **स्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के साथ निर्गत किया जाता है, इसकी मूल प्रति को सुरक्षित रखकर फोटो प्रतियां ही आवेदन–पत्रों पर संलग्न की जाती हैं।**
2. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र– यह प्रमाण–पत्र रु0 02 (दो रुपये) शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने एवं पूरित अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्गत किये जाते हैं।

शुल्क रसीद- छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात् पूर्ण सत्र तक अपनी शुल्क की रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए। परिचय पत्र प्राप्त करते समय परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तथा प्रतिभूति धनराशि वापस लेते समय शुल्क रसीद की आवश्यकता होती है।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम
(Self Finance Course)

महाविद्यालय में निम्नांकित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित किये गये हैं :–

अ-बी०एड० :उत्तराखण्ड शासन/**NCTE** द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2015–16 में स्ववित्तपोषित बी0एड0 की 50 सीटें (01 यूनिट) स्वीकृत की गई हैं।

ब-बी०बी०ए० :उत्तराखण्ड शासन/वि0वि0 द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित बी0बी0ए0 की 30 सीटें स्वीकृत की गई हैं।

स-पत्रकारिता :उत्तराखण्ड शासन/वि0वि0 द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित पत्रकारिता की 30 सीटें स्वीकृत की गई हैं।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र:- (कोड सं० 2715)

इस महाविद्यालय में सन् 1989 से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नूं) का अध्ययन केन्द्र भी चल रहा है। इस केन्द्र पर चलने वाले पाठ्यक्रम निम्नवत है।

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम/प्रारम्भिक पाठ्यक्रम (बी0 पी0 पी0)
(2) कला स्नातक (बी0ए0)
(3) विज्ञान स्नातक (बी0एस–सी0)
(4) वाणिज्य स्नातक (बी0कॉम0)
(5) कला स्नातकोत्तर (एम0ए0)
(6) एम0ए0 लोक प्रशासन
(7) पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 टी0 एस0)
(8) पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा (डी0 टी0 एस0)
(9) पर्यटन अध्ययन में स्नातक (बी0 टी0 एस0)
(10) भोजन एवं पोषण में प्रमाण पत्र (सी0 एफ0 एन0)
(11) पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 ई0 एफ0)
(12) ग्राम्य विकास में प्रमाण–पत्र (डी0 आर0 एस0)
(13) आपदा प्रबन्धन (सी.डी.एम.)
(14) मानवाधिकार में प्रमाण–पत्र (सी.एच.आर.)
(15) विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)
(16) पी.जी.डी.आर.डी.
(17) सी.आई.जी.

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश देय हैं जिसके लिये समन्वयक इग्नू अध्ययन केन्द्र, रा0 स्ना0 म0वि0 गोपेश्वर दूरभाष 01372–252486 से सम्पर्क कर सकते हैं। इग्नू में माह जून–जुलाई/दिसम्बर जनवरी माहों में प्रवेश होते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू वेबसाइट www.ignou.ac.in पर देख सकते हैं।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष

शैक्षणिक सत्र 2015–16 से उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 81/XXIV(7)/2015–11(4)15 दिनांक 15 अप्रैल 2015 एवं उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु **"प्रोजेक्ट उत्कर्ष"** का संचालन किया जा रहा है। सत्र 2017–18 में 30 छात्र–छात्रायें पंजीकृत हैं।

स्वच्छ भारत अभियान
(Mission Clean India)

"राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान" के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्राध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरूप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बना रहेगा और इनके आस–पास के क्षेत्र भी साफ–सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा करकट केवल महाविद्यालय में रखे प्लास्टिक के कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू, गुटका, खैनी तथा इनसे संबंधित अन्य वस्तुओं का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण प्रदषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस–पास गंदगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत नदी–नालों एवं आस–पास के परिवेश को स्वच्छ रखा जाना है। इसमें शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका सामान्यतः तथा एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 एवं रोवर्स–रेंजर्स के स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका विशेष रूप में निर्धारित की गई है।

अनुपालनीय बिन्दु

(1) गरिमामयी और अनुशासित वातावरण बनाये रखने के लिए प्रतिदिन छात्र/छात्राओं को सूचनापट्ट पर लगी सूचनायें पढ़ने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

(2) छात्र/छात्राओं को अपने विभिन्न कार्यों के लिये सम्बन्धित प्रभारी अध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

(3) प्रत्येक छात्र को वि0 वि0 के नियमानुसार कक्षाओं में उपस्थित रह कर निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी।

(4) परिचय–पत्र प्रत्येक छात्र/छात्रा परिचय पत्र प्रवेश लेने के उपरान्त शुल्क रसीद दिखाकर काउण्टर से प्राप्त कर लें।

(5) वि0 वि0 परीक्षा आवेदन–पत्र निर्धारित उपस्थित एवं अद्यतन शुल्क भुगतान किये जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जायेगा।

(6) किसी भी छात्र द्वारा महाविद्यालय की सीमा में भूख हड़ताल अथवा किसी भी हड़ताल को आश्रय देना अनुशासन भंग करने की कार्यवाही मानी जायेगी तथा विद्यार्थी महाविद्यालय से स्वतः अथवा तथ्यतः निष्कासित हो जायेगा।

(7) छात्रों को खाली वादनों में वाचनालय जाकर उपलब्ध पठन सामग्री का लाभ उठाना चाहिए।

(8) परिचय पत्र शुल्क रसीद के बिना पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत नहीं हो सकेगी।

(9) जिन विभागों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसमें छात्र अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश ले सकते हैं। सत्र के दौरान उक्त पदों पर नियुक्ति न हो पाने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

(10) टी0सी0 छात्र द्वारा अदेय प्रमाण–पत्र जमा करने के तीन दिन बाद ही निर्गत होगी।

(11) प्रतिभूति राशि किसी भी कक्षा की नवम्बर, दिसम्बर माह में ही निर्गत की जायेगी। किसी कोर्स (कक्षा) के उत्तीर्ण छात्र–छात्रा कुल दो वर्ष के अन्तर्गत आवेदन/अदेय प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रतिभूति राशि प्राप्त कर लें।

(12) **महाविद्यालय शिक्षण कक्षों/प्रयोगशालाओं/पुस्तकालय/कार्यालय में मोबाईल का प्रयोग प्रतिबंधित है।**

(13) महाविद्यालय में रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय यू0जी0सी0 वेबसाइट से इस आशय का शपथ पत्र ऑनलाईन भरकर महाविद्यालय में जमा करना होगा।

(14) परिसर के सौन्दर्यीकरण हेतु छात्र–छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक–एक वृक्ष अवश्यलगायें।

(15) उत्तराखण्ड शासन के नवीनतम आदेश के आलोक में राष्ट्रवाद की भावना का जागृत करने हेतु महाविद्यालय के मुख्य परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस पर पूर्वान्ह 10.00 बजे तथ अपरान्ह 4.00 बजहे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का वादन किया जाता है।

(16) केन्द्र शासन द्वारा प्रेरित तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान को शासन के निर्देशानुसार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है।

महाविद्यालय परिवार
प्रो0 आर0के0 गुप्ता (प्राचार्य)
(प्राध्यापक वर्ग)

(A)विज्ञान संकाय	भू-विज्ञान विभाग :-
भौतिक विज्ञान विभाग :-	1— डा0 अरविन्द भट्ट (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
1— डा0 दिनेश चन्द्र सती (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	2— डा0 दीपक कुमार दयाल (असि0प्रो0)
2— कु0 सुदीप्ता (असि0प्रो0)	
3— डा0 सुबोध जोशी (गैस्ट फैकल्टी)	**रक्षा अध्ययन विभाग :-**
3— श्री रविशंकर कुनियाल(नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	1— डॉ0 एम0के0उनियाल (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
4— श्री तुषार कंडारी (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	2— श्री एम0के0 टम्टा (असि0प्रो0)
रसायन विज्ञान विभाग :-	
1— डॉ0 गिरधर जोशी (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	**(B)कला संकाय**
2— श्री रोहित वर्मा (असि0प्रो0)	**हिन्दी विभाग :-**
3— डा0 प्रकाश चन्द्र (असि0प्रो0)	1—डा0 भावना मेहरा (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
4— डॉ0 रमन बहुगुणा (संविदा प्रवक्ता)	2— डा0 सन्ध्या गैरोला (असि0प्रो0)
5— श्री सुधीर कोठियाल (गैस्ट फैकल्टी)	3— डा0 दिगपाल सिंह (असि0प्रो0)
6— श्री राजेन्द्र सिंह (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	
	अंग्रेजी विभाग :-
वनस्पति विज्ञान विभाग :-	1— डा0 दर्शन सिंह नेगी (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी))
1— डॉ0 प्रियंका उनियाल (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	2— श्री दिनेश सिंह (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)
2— श्री रूपेश कुमार (असि0प्रो0)	3— कु0 निर्विन्ध्या शर्मा (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)
3— श्री बिपिन सुयाल (असि0प्रो0)	
4— कु0 पूनम टाकुली(असि0प्रो0)	**संस्कृत विभाग :-**
5— श्रीमती प्रीति पंत(असि0प्रो0)	1—डा0 विनीता नेगी (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)
प्राणि विज्ञान विभाग:-	**अर्थशास्त्र विभाग :-**
1— डा0 एस0पी0 उनियाल (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	1—डा0 एस0के0 लाल (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी))
2— डा0 बी0पी0 पोखरियाल (असि0प्रो0)	2—डा0 अभय कुमार (असि0प्रो0)
3— डा0 मनीष कुकरेती (असि0प्रो0)	2—डा0 राकेश कुमार मिश्र (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)
4— डा0 सुनील भण्डारी (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	
5— रिक्त पद—1	
	भूगोल विभाग :-
गणित विभाग :-	1— डॉ0 भगवती प्रसाद देवली (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
1— श्री राजेश कुमार मौर्य (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	2— डा0 पी0एल0 शाह (असि0प्रो0)
2— श्री इमरान अली (असि0प्रो0)	3— डा0 बी0सी0एस0 नेगी (असि0प्रो0)

3— डा0 अनिता (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	4— डा0 हर्षी खण्डूड़ी (असि0प्रो0)
4— डा0 मुकेश शर्मा (नितान्त अस्थाई कामचलाऊ व्यवस्था)	

राजनीति विज्ञानविभाग :-	**(D)शिक्षा संकाय**
1— डॉ0 भगवती प्रसाद पुरोहित (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	**(a)राज्य पोषित बी०एड० विभाग**
2— डा0 जगमोहन सिंह नेगी (असि0प्रो0)	1— डॉ0 बी0सी0शाह (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
3— डा0 मनीष कुमार मिश्रा (असि0प्रो0)	2— डॉ0 सुशील चन्द्र बहुगुणा (असि0प्रो0)
	3— डॉ0 अखिलेश कुकरेती (असि0प्रो0)
इतिहास विभाग :-	4— डॉ0 अखिल चमोली (असि0प्रो0)
1— डा0 एस0एस0 रावत (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	5— डॉ0 ममता असवाल (असि0प्रो0)
	6— डॉ0 हिमांशु बहुगुणा (असि0प्रो0)
समाजशास्त्र विभाग :-	7— श्री कुलदीप सिंह (असि0प्रो0)
1— डा0 अनिल कुमार सैनी (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	**(b)स्ववित्त पोषित बी०एड० विभाग :—**
2— कु0 ऋतु (असि0प्रो0)	1— डॉ0 रमाकान्त यादव (विभाग प्रभारी)
3— डा0 रचना टम्टा (असि0प्रो0)	2— डॉ0 नाभेन्द्र गुसांई(प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा)
	3— डा0 बबीता (प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान)
गृह विज्ञान विभाग :-	4— कु0 समीक्षा (प्रवक्ता अंग्रेजी)
1— श्रीमती प्रियंका टम्टा (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	5— कु0 रुपिन कण्डारी (प्रवक्ता रसायन विज्ञान)
2— डा0 रंजू बिष्ट (संविदा प्रवक्ता)	
	(c) एम० एड० विभाग :—
शिक्षाशास्त्र विभाग :-	1— डॉ0 चन्द्रेश (असि0प्रो0)
1— श्री सुमित सिंह (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	2— डॉ0 मनोज प्रसाद नौटियाल (असि0प्रो0)
	3— डॉ0 श्याम लाल (असि0प्रो0)
संगीत विभाग :-	4— डॉ0 सबज कुमार (असि0प्रो0)
1—डा0 मनीष डंगवाल (असि0प्रो0)	5— श्रीमती विधि टौंडियाल (असि0प्रो0)
	6— डॉ0 संरिता पंवार (संविदा प्रवक्ता)
शारीरिक शिक्षा विभाग :-	7— रिक्त पद—4
1—डा0 ललित मोहन तिवारी (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	

(C)वाणिज्य संकाय	स्ववित्त पोषित–बी0बी0ए0 (त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)
1– डॉ0 मनोज सिंह बिष्ट (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	डॉ0 दर्शन सिंह नेगी (समन्वयक)
2– डा0 अखिल शर्मा (असि0प्रो0)	**स्ववित्त पोषित–पत्रकारिता एवं जनसंचार (एक वर्षीय डिप्लोमा)**
3– डा0 सौरव रावत (असि0प्रो0)	डॉ0 एस0पी0 उनियाल समन्वयक)
4– डा0 वन्दना लौहनी (असि0प्रो0)	**स्ववित्त पोषित–इको टूरिज्म(एक वर्षीय डिप्लोमा)**
5– डा0 राजेश कुमार (असि0प्रो0)	डॉ0 जगमोहन सिंह नेगी(समन्वयक)

महाविद्यालय परिवार
(कर्मचारी वर्ग)

कार्यालय		रसायन विज्ञान	
1– श्री सुधीर नेगी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1– श्री योगेन्द्र लिंगवाल	प्रयो0सहा0 (उपनल)
2– श्री वी0एन0कोटियाल	प्रशासनिक अधिकारी	2– श्री मनीष परमार	अनुसेवक
3– श्री महेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	3– श्री भूपेन्द्र सिंह	अनुसेवक(उपनल)
4– श्री जीवन लाल	वरिष्ठ सहायक		
5– श्री युद्धवीर सिंह	कनिष्ठ सहायक(उपनल)	**भौतिक विज्ञान**	
6– श्री कुँवर सिंह राणा	अनुसेवक	1– श्री सूरज कुमार	प्रयो0सहा0 (उपनल)
7– श्री दर्शन सिंह	अनुसेवक		
8– श्री गजे सिंह	अनुसेवक		
9– श्री सन्तोष	चौकीदार	**वनस्पति विज्ञान**	
10– श्री पपेन्द्र सिंह	अनुसेवक(उपनल)	1– श्रीमती गायत्री देवी	प्रयो0सहा0
11– श्री सुमित सिंह	अनुसेवक(पीआरडी)	2– श्री पंकज सिंह	अनुसेवक(उपनल)
12– श्री विनोद सिंह	अनुसेवक(पीआरडी)		
		भूगोल	
		1– श्री मुकेश चन्द्र	अनुसेवक
पुस्तकालय			
1– श्री धन प्रकाश	प्रयो0 सहायक	**गृह विज्ञान**	
2– श्री संदीप पुरोहित	पुस्तकालय लिपिक	1–श्रीमती चम्पा देवी	प्रयो0सहा0
3– श्री पुष्कर सिंह	अनुसेवक		
		सैन्य विज्ञान	
		1– श्री हुकम सिंह	अनुसेवक (उपनल)
वाचनालय			
1– श्री विक्रम गुँसाईं	अनुसेवक	**बी०एड०**	
		श्री मनोज तिवाड़ी	अनुसेवक (उपनल)
प्राणि विज्ञान			
1– श्री राजेश सिंह चौहान	प्रयो0सहा0 (उपनल)	**स्ववित्त पोषित बी०एड० विभाग**	
		1– श्री राजेन्द्र सिंह	स्टोर कीपर (उपनल)
		2– श्री दलीप कुमार	सहा0लेखाकार (उपनल)
भू-विज्ञान		3– श्री विनीत डिमरी	पुस्तकालयाध्यक्ष
		4– श्री सतीश डिमरी	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (उपनल)
1– श्रीमती रंजना देवी	अनुसेवक	5– श्री ज्ञान सिंह	अनुसेवक (उपनल)

शपथ पत्र का प्रारूप(केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशें को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ–
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिक में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मै किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर..... दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं .....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हुँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टीरैगिंग शपथ पत्र हेतुwww.amanmovement.org लॉगऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।